न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/40/2014

1. राजकुमार जैन पुत्र श्री रिखबचन्द जैन, जाति जैन, आयु 59 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 34, उनियारा गार्डन, त्रिमूर्ति सर्किल, जयपुर।
2. श्रीमती उषा जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, जाति जैन, आयु 57 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 34, उनियारा गार्डन, त्रिमूर्ति सर्किल, जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र गणेश, जाति खाती (मृतक दौराने दावा)
   1/1 नानूराम खाती पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण
   1/2 प्रभूनारायण खाती पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण
   1/3 श्रीमती रामप्यारी पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण धर्मपत्नी श्री रामेश्वरलाल, वेद वाटिका, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।
   1/4 श्रीमती नन्छी देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण
   1/5 सुन्दर पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण
   1/6 मन्जू पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण
   1/7 धन्ना पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण
   1/8 भगवान सहाय पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूपपुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण जाति खाती, निवासी लक्ष्मी टिम्बर्स, टोल प्लाज़ा के पास, ग्राम ठीकरिया, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती बरदी देवी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मीनारायण (मृतक दौराने वाद)
3. नन्दा पुत्र भूरा (मृतक दौराने वाद)
   3/1 रामनारायण पुत्र स्व श्री नन्दा
   3/2 बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री नन्दा
   3/3 राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री नन्दा
   समस्त जाति खाती, निवासी ग्राम ठीकरिया, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   3/4 मु0 गोपी बेवा स्व0 श्री नन्दा (नाम हजफ मृतक दौराने वाद)
   3/5 श्रीमती कमला पुत्री स्व0 श्री नन्दा धर्मपत्नी श्री फूलचन्द, जाति खाती, निवासी ग्राम बास नांगल्या, तहसील चा... जिला जयपुर।
   3/6 श्रीमती सुशीला पुत्री स्व0 श्री नन्दा धर्म... श्री ...कर, जाति खाती, निवासी ग्राम बास नांगल्या, तहसील चाकसू जिला ...
   3/7 श्रीमती सरजू पुत्री स्व0 श्री नन्दा धर्मपत्नी श्री ...जाति खाती, निवासी ग्राम भापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः 24.08.2022

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि भूमि विवादग्रस्त खसरा नंबर 723 रकबा 0.11 हैक्टेयर व 724 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नंबर 305 रकबा 1 बीघा थे, ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 305 रकबा 1 बीघा श्री लक्ष्मीनारायण व गोपाल पुत्रान् गणेश हिस्सा 1/2 तथा श्री नन्दा पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, राजस्व भू–अभिलेखों में श्री लक्ष्मीनारायण व गोपाल पुत्रान् गणेश तथा श्री नन्दा पुत्र भूरा का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था। लक्ष्मीनारायण व गोपाल पुत्रान् गणेश तथा नन्दा पुत्र भूरा, जाति खाति ने उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 305 रकबा 1 बीघा, वादीगण को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.05.1988 द्वारा विक्रय कर कब्जा संभला दिया और उक्त विक्रय पत्र को उप पंजीयक सांगानेर ने पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 108, क्रम संख्या 455, पृष्ठ संख्या 184 व 185 पर दिनांक 04.05.1988 पंजीबद्ध कर लिया और तब से वादीगण उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज रहकर उसका उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। वर्ष 1988 में ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में बंदोबस्त की कार्यवाही चल रही थी, वादीगण उपरोक्त वर्णित पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण अपने नाम कराने हेतु निवेदन किया जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 46 सहायक भू–अभिलेख अधिकारी ने दिनांक 16.09.1989 को वादीगण के नाम तस्दीक कर दिया और उसके आधार पर वादीगण इस विश्वास में रहे कि राजस्व भू–अभिलेखों में वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित कर दिया गया होगा परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बंदोबस्त के दौरान तस्दीक किये गये उक्त नामांतरकरण के आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों में दुरूस्ती नही की गई और तहसील के राजस्व भू–अभिलेखों में उक्त विक्रेतागण का नाम ही खातेदार कृषक के रूप में दर्ज रहा। उपरोक्त भूमि के अलावा भूमि खसरा नंबर 730, 731, 732, 733, 734, 735, 745 भी राजस्व भू–अभिलेखों में श्री लक्ष्मीनारायण व गोपाल पुत्रान् गणेश तथा श्री नंदा पुत्र भूरा, जाति खाति की खातेदारी में दर्ज थी जिसमें श्री गोपाल पुत्र गणेश का नाम भी 1/4 हिस्से के खातेदार कृषक के रूप में दर्ज रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि गोपाल पुत्र गणेश ने उक्त भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

नंबर 730, 731, 732, 733, 734, 735, 745 में अपने हिस्से की भूमि के संबंध में एक विक्रय पत्र श्रीमती बरदी देवी धर्मपत्नी लक्ष्मीनारायण के पक्ष में तहरीर किया जिसके आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 730, 731, 732, 733, 734, 735, 745 के संबंध में नामांतरकरण संख्या 54 दिनांक 28.04.1994 को प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती बरदी देवी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मीनारायण के नाम तस्दीक किया गया यद्यपि उक्त विक्रय पत्र व नामान्तकरण में वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 723 व 724 शामिल नहीं थी परन्तु फिर भी उसके पश्चात जो राजस्व भू–अभिलेख बने उन में उक्त नामांतरकरण संख्या 54 दिनांक 28.04.1994 के आधार पर ही गोपाल के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती बरदी देवी धर्मपत्नी लक्ष्मीनारायण का नाम अंकित कर दिया गया, जिसकी वादीगण को कोई जानकारी नहीं हो सकी। जब भी गोपाल पुत्र गणेश अपने हिस्से की भूमि दिनांक 04.05.1988 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा ही वादीगण को विक्रय कर कब्जा संभला चुका था तब उसके पश्चात् उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती बरदी देवी को कोई अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं था। वादीगण ने दिनांक 30.01.2014 को अन्य कार्यवश जब भूमि विवादग्रस्त के राजस्व भू–अभिलेख, जमाबंदी संवत् 2069 लगायत 2072 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो पता चला कि राजस्व भू–अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम ही खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है। इस पर वादीगण को फिक्र हुई और वादीगण ने अन्य राजस्व भू–अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त की तब वादीगण को उपरोक्त वर्णित तथ्यों की जानकारी हुई। वादीगण ने उसके बाद कई बार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे गलत इन्द्राजात की दुरूस्ती करो लेने हेतु कहा तो वे शीघ्र ही दुरूस्ती कराने का आवश्वासन देते रहे परन्तु वास्तव में दुरूस्ती नहीं कराई गई। वादीगण ने जब दिनांक 12.03.2014 को प्रतिवादीगण पर दुरूस्ती कराने हेतु दबाव डाला तो वे स्पष्टतः इनकार हो गये और इसी से वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि विवादग्रस्त हाल खसरा नंबर 723 रकबा 0.11 [illegible] 724 [illegible] हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर के वादीगण [illegible] है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद [illegible] जावे कि वे भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के कब्जे काश्त में अनुचित [illegible] ना करें तथा वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

उक्त भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही ना स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। प्रतिवादी संख्या 3 की फौती तामील रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 3 की का0मु0 कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। वकील वादी द्वारा का0मु0 प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर उभयपक्ष की बहस उपरांत का0मु0 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान 3/1 ता 3/7 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। का0मु0 की तामील हेतु व शेष प्रतिवादीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड एडी जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 3/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 3/4 की फौती तामील रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 3/4 के का0मु0 की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वकील वादी द्वारा न्यायालय को अवगत कराया की प्रतिवादी संख्या 3/4 के वारिसान 3/1 3/2, 3/3 व 3/5 लगायत 3/7 पूर्व से ही वाद में पक्षकार मुकदमा है अतः वाद से प्रतिवादी संख्या 3/4 का नाम हजफ की स्वीकृति प्रदान कि जावें। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3/4 के नाम हजफ का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर बहस उपरांत प्रतिवादी संख्या 3/4 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 3/5, 3/6, 3/7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रतिवादीगण को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1, 3/2, 3/3 व 4 के जवाब दावे का अवसर बंद किया गया। विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के फौत होने पर वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के का0मु0 की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। वकील वादी द्वारा का0मु0 प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 वारिसान 1/1 ता 1/8 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान 1/1 ता 1/8 वाद में पक्षकार होने पर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/8 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/8 अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वकील वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र श्री प्रेम सिंह

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यादव उर्फ प्रेमप्रकाश पुत्र बालूराम यादव, व छीतरमल गुर्जर पुत्र श्री देवाराम गुर्जर पेश किया गया। गवाह से मुख्य परिक्षण करवाया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने से जिरह प्रतिवादी व साक्ष्य प्रतिवादी का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस वादपत्र नियत की गई।

वादपत्र पर बहस वकील एकपक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 723 व 724 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर है। जो प्रदर्श–7 से प्रमाणित है। जिसके साबिक खसरा नंबर 305 रकबा 1 बीघा थे। जो प्रदर्श–3 से प्रमाणित है। जिसके रिकॉर्डेड खातेदार राजस्व भू–अभिलेखों में श्री लक्ष्मीनारायण व गोपाल पुत्रान् गणेश तथा श्री नन्दा पुत्र भूरा का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज थे। जो प्रदर्श–5 से प्रमाणित है। लक्ष्मीनारायण व गोपाल पुत्रान् गणेश तथा नन्दा पुत्र भूरा, जाति खाति ने उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 305 रकबा 1 बीघा, वादीगण को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.05.1988 द्वारा विक्रय कर कब्जा संभला दिया और विक्रय पत्र को उप पंजीयक सांगानेर ने पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 108, क्रमांक संख्या 455, पृष्ठ संख्या 184 व 185 पर दिनांक 04.05.1988 पंजीबद्ध कर दिया। जो प्रदर्श–4 से प्रमाणित है। प्रदर्श–5 से प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 305 जिसके हाल खसरा नंबर 723 व 724 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर का का नामांतकरण विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम तस्दीक किया गया था। तथा प्रदर्श–6 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में नामांतरकरण संख्या 54 दिनांक 28.04.1994 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती बरदी देवी धर्मपत्नी लक्ष्मीनारायण का नाम अंकित कर दिया गया। जो गलत प्रतीत होता है।

उपरोक्त दस्तावेजात से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नंबर 723 व 724 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नंबर 305 थे को वादीगण ने पूर्व खातेदार लक्ष्मीनारायण व गोपाल पुत्रान् गणेश तथा नन्दा पुत्र भूरा, जाति खाति से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.05.1988 द्वारा क्रय किया था तथा विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण का नामांतकरण भी भरा गया था लेकिन वादग्रस्त आराजी में नामांतरकरण संख्या 54 दिनांक 28.04.1994 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती बरदी देवी धर्मपत्नी लक्ष्मीनारायण का नाम अंकित कर दिया गया। जबकि विक्रय के आधार पर वादीगण ही वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

शपथ पत्रो से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा–काश्त है। वैसे भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रसतुत दस्तावेजों के खण्डन में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है ना ही जवाब दावा, साक्ष्य, सबूत एवं अपनी बहस प्रस्तुत की हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त विधिक तथ्य अखण्डनीय हैं। ऐसे में वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्ण सफल रहा हैं। वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य हैं।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 723 रकबा 0.11 हैक्टेयर व 724 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर स्थित वाकै ग्राम ठीकरिया पटवार क्षैत्र ठीकरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र [illegible]रूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का वादीगण को विक्रय [illegible] दिनांक 04.05.1988 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

आदेश आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:24:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

राजकुमार

बनाम

लक्ष्मीनारायण वगै.

दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/40/2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....P.......... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नंबर 723 रकबा 0.11 हैक्टेयर व 724 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर स्थित वाकै ग्राम ठीकरिया पटवार क्षैत्र ठीकरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का वादीगण को विक्रय पत्र दिनांक 04.05.1988 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। इस आशय डिक्री जारी की जाती है।

नि..........P.......... मुबलिग ....P.......... बाबत् ....P..........
.... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....P.......... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....P.......... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.08.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

ओहदा .... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:24:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner